

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर पंचायत, घनश्यामपुर क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण कार्य हेतु अवशेष कुल राशि ₹347.87351 लाख (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सतासी हजार तीन सौ एक्यावन रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-10 दिनांक-11.04.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु कुल 19 नगर निकायों में कुल 66 योजनाओं का कुल राशि ₹6088.84233 लाख रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुये तत्काल योजनाओं की कार्यान्वयन हेतु राशि ₹1472.84233 लाख रुपये मात्र आवंटित किया गया जिसमें से नगर पंचायत, घनश्यामपुर क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण की कुल 21 योजना शामिल है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, घनश्यामपुर का पत्रांक-385 दिनांक-10.04.2026 द्वारा उक्त योजनाओं हेतु अवशेष राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, घनश्यामपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित एकरारनामा के राशि के अनुरूप तत्काल राशि ₹347.87351 लाख (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सतासी हजार तीन सौ एक्यावन रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

राशि लाख में

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	कुल स्वीकृत अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत, घनश्यामपुर	वार्ड सं०-02 में प्राथमिक मकतब (महाजन चौक) से मास्टर सलाउद्दीन के घर तक नाला निर्माण कार्य।	24.493	20.32674	4.45300	15.83374
2		वार्ड सं०-06 में ललन राय के घर से रोहित ठाकुर के घर होते हुए बच्चा राय के घर तक नाला निर्माण कार्य।	24.884	24.13748	4.88400	19.25348
3		वार्ड सं०-07 में रंजीत यादव के घर से भगवान झा के घर तक नाला निर्माण कार्य।	14.203	11.07873	4.20300	6.87573
4		वार्ड सं०-08 में हाजी मंटू के घर से हीरा चौपाल के दूकान तक नाला निर्माण कार्य।	23.831	23.23523	3.83100	19.40423

5	वार्ड सं0-04 में कौशल्या मंदिर से अरुण झा के घर होते हुए मुख्य सड़क तक नाला निर्माण कार्य।	24.944	24.07096	4.94400	19.12696
6	वार्ड सं0-02 में ललित झा के घर (ए.टी.एम चौक) से चन्दन मिश्रा के डिपू तक नाला निर्माण कार्य।	24.282	23.85706	4.28200	19.57506
7	वार्ड सं0-01 में बसीर उर्फ छेदी के घर से मास्टर लाल मोहम्मद के घर तक नाला निर्माण कार्य।	24.132	23.95101	4.13200	19.81901
8	वार्ड सं0-11 में जागेश्वर राय के घर से (कचहरी गेट) विमल राय के घर तक नाला निर्माण कार्य।	24.583	24.06676	4.58300	19.48376
9	वार्ड सं0-13 में जमीर राईन के घर से तेलिया पोखर तक नाला निर्माण कार्य।	24.673	20.15537	4.67300	15.48237
10	वार्ड सं0-14 में राधाकान्त के घर से कोयला पोखर तक नाला निर्माण कार्य।	23.38	18.23601	3.38000	14.85601
11	वार्ड सं0-06 में बिनोद झा के घर से हरीकान्त राय के घर होते हुए राम जीवन राय के घर तक नाला निर्माण कार्य।	24.433	24.06650	4.43300	19.63350
12	वार्ड सं0-08 में सलीम महाजन घर समीप बाजार मस्जिद के दक्षिणी ओर नाला निर्माण कार्य।	23.68	22.94592	3.68000	19.26592
13	वार्ड सं0-04 में लक्ष्मी सिंह घर से पोखर भिडा होते हुए सितमल कमती के घर तक नाला निर्माण कार्य।	22.326	21.96878	2.32600	19.64278
14	वार्ड सं0-02 में चन्दन मिश्रा के डिपू से दरदहवा पुल होते हुए सदा मुहल्ला और निपुण झा गाछी तक नाला निर्माण कार्य।	24.733	20.27858	4.73300	15.54558
15	वार्ड सं0-02 में भोला झा के भराट से बच्ची साहू के किराना दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	22.627	21.68798	2.62700	19.06098
16	वार्ड सं0-11 में मुख्य सड़क PWD राजा झा के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक नाला निर्माण कार्य।	23.981	23.44143	3.98100	19.46043
17	वार्ड सं0-03 में पवन मालाकार के घर से योगेन्द्र चौपाल के घर तक नाला निर्माण कार्य।	14.504	13.85132	4.50400	9.34732
18	वार्ड सं0-03 में मिथिलेश राम के घर से सुमन राय के घर तक नाला निर्माण कार्य।	19.318	16.87040	9.31800	7.55240
19	वार्ड सं0-02 में महाजन चौक से एटीएम चौक होते हुए दुन्ना मिश्रा के गौशाला तक नाला निर्माण कार्य।	23.229	22.59020	3.22900	19.36120
20	वार्ड सं0-07 में राजकुमार के घर से दिलीप गुप्ता के दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	13.602	13.07153	3.60200	9.46953
21	वार्ड सं0-01 में मुन्ताजार के घर से पुल होते हुए नैना टोपो के घर तक नाला निर्माण कार्य।	23.53	23.35352	3.53000	19.82352
कुल		469.368	437.24151	89.368	347.87351

अर्थात् ₹347.87351 लाख (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सतासी हजार तीन सौ इक्यावन रुपये) मात्र

3. उक्त स्वीकृत राशि राशि ₹347.87351 लाख (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सतासी हजार तीन सौ इक्यावन रुपये) मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, धनश्यामपुर के PL खाता सं0-DBGPLA017, HoA संख्या-00-8448-00-102-0003-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।**

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹347.87351 लाख (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सतासी हजार तीन सौ इक्यावन रुपये) मात्र की निकासी माँग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-परिवहन के

लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217037890102, विषय शीर्ष-0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम-286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०-46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496/वि(2), दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/सड़क-01-27/2026 के पृष्ठ सं०-24/टि० पर दिनांक-12.06.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 34/टि० पर दिनांक-10.08.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/सड़क-01-27/2026

126

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-13/08/20

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घनश्यामपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 04 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।